



ISO 9001: 2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

Indag Rubber Limited

Regd. Office: Khemka House, 11, Community Centre, Saket, New Delhi -110017, India
Phone: 26963172-73, 26961211, 26863310, 41664818, 41664043; **Fax:** 011-26856350
E-mail: info@indagrubber.com; Website: www.indagrubber.com; **CIN-L74899DL1978PLC009038**

Works: VPO Bhogpur, Jhiriwala, Tehsil Nalagarh, Distt. Solan, Himachal Pradesh - 174101, India
Phone: +91-9736000123

August 5, 2026

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai-400001

(Company code-1321)
(Scrip code-509162)

Subject: Newspaper Publication - Public Notice to the Shareholders regarding Opening of Special Window for Transfer and Dematerialization of Physical Securities

Ref.: HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 dated January 30, 2026

Dear Ma'am/ Sir,

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in continuation of our communication dated February 05, 2026 in terms of above-mentioned circular, please find enclosed newspaper extract for Public Notice to the Shareholders regarding special window which has been opened from February 05, 2026 for a period of one year i.e., till February 04, 2027, for transfer and dematerialization of physical securities, which were sold/ purchased prior to April 01, 2019 and rejected/ returned/ not attended due to deficiency(ies) in the documents/ process or otherwise.

The copy of the said advertisement is also being made available on the website of the Company at www.indagrubber.com.

We request you to take the above on record.

Yours faithfully,
For Indag Rubber Limited

Sonal Garg
Company Secretary & Compliance Officer
ACS-24598

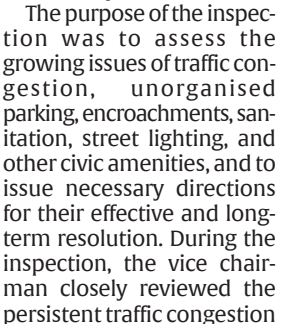
GDA vice chairman inspects RDC area

Rural India, more broadly, continues to grapple with a

A comparable pattern is often observed in Indian cities, where the arrival of an established hospital group tends to lift the standard of the surrounding health ecosystem. The first community health camp offered an early indication of the scale of

The project also assists families in accessing benefits to which they are often already entitled but do not use. This includes enrolment and e-KYC support under Ayushman Bharat, along with outreach

The writer is associated with the Sharda Welfare Foundation, which implements Project Swasth in Khairthal-Tijaradistrict, Rajasthan, with support from the Honda India Foundation



Concluding the inspection, the vice chairman directed the secretary and other concerned officials to prepare a comprehensive action plan covering all identified issues in the RDC area within one week and to initiate effective implementation immediately thereafter.

may

पायनियर

नई दिल्ली, बुधवार, 5 अगस्त 2026

नीट-पीजी दाखिला व्यवस्था का ऑडिट काराणी केंद्र सरकार

अतिरिक्त साॅलिसिटर जनरल ने कहा कि 8 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करेगी समिति

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

केंद्र सरकार नीट-पीजी स्नातकोत्तर मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिले की मौजूदा प्रणाली के ऑडिट के लिए एक समिति गठित कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में जानकारी देते हुए, अतिरिक्त साॅलिसिटर जनरल ने कहा कि समिति 8 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करेगी, जिसका उद्देश्य मौजूदा खामियों की पहचान करना है। याचिकाकर्ताओं ने कट-ऑफ में कमी को चुनौती दी है।

केंद्र सरकार ने नीट-पीजी के जरिए स्नातकोत्तर मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिले की मौजूदा व्यवस्था में खामियों का पता लगाने के लिए पूरे तंत्र का व्यापक ऑडिट करने का उद्देश्य है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी देते हुए कहा कि ऑडिट का तौर तरीका तय करने के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशाक की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ के समक्ष केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त साॅलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने पीठ से कहा कि सरकार ने 23 जुलाई को एक अधिसूचना जारी कर उच्च स्तरीय समिति गठित की है। इसमें स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक समेत 12 सदस्य हैं, जून्होंने पीठ से कहा कि समिति का काम नीट

विश्व स्तनपान सप्ताह को लेकर जागरूकता रैली का आयोजन

नई दिल्ली। विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर स्वामी दयानंद अस्पताल में स्तनपान के महत्व को लेकर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान अस्पताल के डॉक्टरों, नर्सिंग अधिकारियों, नर्सिंग छात्राओं एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। रैली में प्रतिभागियों ने हाथों में जागरूकता सदियों वाले पोस्टर और बैनर लेकर अस्पताल परिसर में लोगों को जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू करने, पहले छह माह तक केवल माँ का दूध पिलाने तथा दो वर्ष या उससे अधिक समय तक पृस्क आहार के साथ स्तनपान जारी रखने का संदेश दिया। स्वास्थ्य विशेषज्ञों एवं डॉक्टर सुनीता कुंजर, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि नवजोत शिशु को कोई हनी कोई घुट्टी नहीं केवल 6 महीने तक माँ का दूध ही पिलाना चाहिए।जो उसके लिए सर्वोत्तम आहार है ने बताया माँ का दूध शिशु के लिए संपूर्ण पोषण का सबसे बेहतर स्रोत है।

सतीश गुजराल की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी

नई दिल्ली। रसील गुजराल आर्ट लिगेसी आरजीएल ने डाक विभाग, भारत सरकार के सहयोग से चित्रकार, मूर्तिकार, भित्तिचित्रकार, वास्तुकार और लेखक तथा स्वतंत्रता के बाद के भारतीय कला जगत की सबसे प्रतिष्ठित हस्तियों में शुमार पद्म विभूषण सतीश गुजराल की जन्म शताब्दी के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। इस टिकट का आनावरण माननीय केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने नई दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस में आयोजित एक समारोह में किया। इस अवसर पर परिवारजन, कला संग्रहकर्ता, कलाकार, प्रमुख विचारक और मीडियार्कमाँ एक ऐसे कलाकार को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्र हुए, जिनके सात दशकों से भी लंबे रचनात्मक सफर ने भारत की आधुनिक कृष्ट और स्थापत्य भाषा को नई दिशा दी। नवीन अंसल और रसील गुजराल अंसल द्वारा आयोजित इस समारोह में सतीश गुजराल की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में तैयार की गई दुर्लभ, सीमित संस्करण की सतीश गुजराल शताब्दी स्टैम्प संग्रहणीय वस्तुओं केकलेक्टिबल्स की एक क्यूरेटेड सार्वजनिक प्रदर्शनी का भी शुभारंभ हुआ, जो 4 से 9 अगस्त तक बीकानेर हाउस में जनता के अवलोकन हेतु खुली रहेगी।



किष्का बाईपास रोड, रुद्रपुर (उधम सिंह नगर) फ़ोन नं. 05944-245552 ई-मेल: anahachattilfeed@gmail.com

पत्रांक : 1984-5 / फ़ाइनल/पि/विश्व सूचना / 2026-27दिनांक: 04.08.2026

अल्कालिक ई-निविदा

अल्पकालिक ई-निविदा सूचना संख्या- 05(1-14)/CFP/2026-27, Date 04-08-2026

पशु आहार निर्माणशाला रुद्रपुर (उधमसिंहनगर) के निर्माणलिखित पशु आहार कच्चा-माल व मिनरल मिक्सचर अवयवों की आपूर्ति के कार्यों के लिये अनुमोदी, प्रतिष्ठित व वित्तीय रूप से सक्षम निर्माताओं / फर्मों / आपूर्तिकर्ताओं से निम्नानुसार पुनः ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र० सं०	विवरण	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि व समय	निविदा खुलने की तिथि व समय
पशु आहार कच्चा माल			
01	मक्का	1100 मै0टन	
02	एस0आर0एन0	300 मै0टन	
03	कैल्साईड पाउडर	300 मै0टन	
04	मेज काब्स्	325 मै0टन	
05	विटामिन ए0डी0-3	85 कि०ग्रा०	
06	विटामिन-ई	950 कि०ग्रा०	
मिनरल मिक्सचर अवयव		दिनांक 13.08.2026 को सायं 05.00 बजे तक।	दिनांक 14.08.2026 प्रातः 11.00 बजे।
01	डी0सी0पी0(Di-Calcium Phosphate) रॉक बेस	205200 कि०ग्रा०	
02	कोपर सल्फेट	2700 कि०ग्रा०	
03	कोबाल्ट सल्फेट	300 कि०ग्रा०	
04	फेरस सल्फेट	4200 कि०ग्रा०	
05	मैगनीशियम ऑक्ससाईड	31500 कि०ग्रा०	
06	मैगनीज सल्फेट	3200 कि०ग्रा०	
07	सोडियम थायो सल्फेट	18000 कि०ग्रा०	
08	सोडियम बाई कार्बोनेट	3600 कि०ग्रा०	
निविदा प्रपत्र का मूल्य, धरोहर धनराशि व समस्त निविदा दस्तावेज उत्तराखण्ड सरकार की ई-निविदा पोर्टल www.uktenders.gov.in पर उपलब्ध है, तथा यही से Download एवं Upload किये जा सकते हैं। निविदा में किसी भी प्रकार के संशोधन की जानकारी हेतु समय-समय पर वेबसाइट का अद्यतन किया जाना आवश्यक है। सामान्य प्रचक्रक पशु आहार निर्माणशाला रुद्रपुर (उधमसिंहनगर)			

करंट से महिला की मौत फरीदाबाद। मुजसेर थाना क्षेत्र के गांव गौड़ी में मंगलवार को बारिश के दौरान एक दर्दनाक हादसे में 30 वर्षीय महिला की करंट लगने से मौत हो गई। महिला घर में पानी भरने के लिए मोटर चला रही थी। इसी दौरान मोटर में पाइप लगाते समय वह करंट की चपेट में आ गई।

सार्वजनिक सूचना
एलएड्वारा सुचित किया जाता है कि आवासिय भूखण्ड संख्या-एस.बी.-02, सेक्टर-132, नोएडा (उ०न०) जिसके मूल मालिक श्री बी.सी. अग्रवाल पुत्र श्री अशुतोष लालि निवासी ग्राम-सुल्तानपुर, नोएडा, गौतमबुद्धनगर (उ०न०) के पक्ष में रजिस्टर्ड (विश्व उप भूविपक्ष वृत्तीय नोएडा, वही सन-3, फ़िलर स०-0-683, पेज न०-69-80, क्रमांक स० 887 दिनांक 24.03.2015 को पंजीकृत हुई है।
1. श्री अश्विनी लक्ष्मी पुत्र श्री रवीन्द्र सिंह निवासी ग्राम-सुल्तानपुर, नोएडा, गौतमबुद्धनगर (उ०न०) के पक्ष में रजिस्टर्ड (विश्व उप भूविपक्ष वृत्तीय नोएडा, वही सन-3, फ़िलर स०-0-683, पेज न०-69-80, क्रमांक स० 887 दिनांक 24.03.2015 को पंजीकृत हुई है।
2. उक्त भूखण्ड संख्या-एस.बी.-02, सेक्टर-132, नोएडा (उ०न०) को श्री अमित लक्ष्मी पुत्र श्री रवीन्द्र सिंह निवासी ग्राम-सुल्तानपुर, नोएडा, गौतमबुद्धनगर (उ०न०) के पक्ष में अंतरण अर्पणन प्रस्तुत किया जा रहा है। यह इस संबंध में किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की आपत्ति है तो सूचना अपनी आपत्ति, समस्त साक्ष्य सहित, नोएडा प्राधिकरण के आवासीय भूखण्ड विभाग में इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अंदर दायित्व कर दें।
श्री अमित लक्ष्मी

The Pioneer Classified
CHANGE OF NAME
I, Sudesh Rana S/o Dharam Singh, R/o RZQ-555 Nihar Vihar, Nangloi, New Delhi-110041, have changed my name to Sudesh Kumar Rana.

सार्वजनिक सूचना
एलएड्वारा सुचित किया है कि स्व० श्रीमती दलजीत गुप्ता कर्ली स्व० श्री विद्यान वरखण्ण (उ०न०) निवासी ए-33, सेक्टर-36, नोएडा जिला गौतमबुद्ध नगर उ०न०, भूखण्ड/फ्रेमवर्क संख्या ए-33, सेक्टर-36, नोएडा जिला गौतमबुद्ध नगर उ०न० में 50 प्रतिशत अंशधारक श्री विनमो आगे का हिस्सा अैसे कि लेावर भूतल जिसमें एक बाड़ा कम्पा, एक लोबी, एक बैक स्पा, एक रवोई, एक बाथरूम, एक बेसमेन्ट और एक गैराज/रूम निर्मित है जिसकी मूल्य दिनांक 22/04/2021 को हो गयी थी। निम्नलिे उक्त परिचरपत्र का नतिरपत्र मेरे नाम जैसे कि सुखजीत सिंह मुख्तार पुत्र श्री सुखदेव सिंह मुख्तार निवासी 15ए, गुप्ता कालोनी, निक्ट-28 नम्बर फाइटक, पटियाला पंजाब के पक्ष में निष्पादित किया जा जिसका पंजीकरण सम्पन्न कार्यालय पटियाला में बुक नम्बर 04, दस्तावेज संख्या 2622 दिनांक 02-09-2021 को हुआ था।
यह कि उक्त सम्पत्ति में से मुझक का हिस्सा जिसका वसित्व मेरे पक्ष में किया गया था का अंतरण प्राधिकरण के द्वारा अपने नाम पर करवाना चाहता हूँ। यह इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की आपत्ति है तो कृपया अपनी आपत्ति समस्त साक्ष्य सहित नोएडा प्राधिकरण के आवासीय भूखण्ड विभाग में इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अंदर दायित्व कर दें।
सुखजीत सिंह मुख्तार

कैमक कमर्शियल कंपनी लिमिटेड (संजीकरण: U71090DL1980PLC169318) पंजीकृत कार्यालय: दुसरी विंध्य, पॉपुलर नगर 22-ए, आवास कम्पली नई दिल्ली - 110002 मोबाइल नंबर: 7303495374, ईमेल: camacommmercial@gmail.com वेबसाइट: www.camacommmercial.com
सार्वजनिक सूचना विषय: भौतिक शोयर्ओं के अंतरण अनुमोद पत्र: जमा करने के लिए स्पेशल विंडो दिनांक 30 जनवरी, 2026 को सेबी परिषद संख्याSMB/038/13/11(2)2026-MIRSD-POD/13750/2026 के अनुसार सार्वजनिक सूचना की प्रिस्तरता में कंपनी के दिनांक 4 फरवरी, 2026, 16 अक्टू, 2026 और 02 जून, 2026 द्वारा एलएड्वारा सुचित किया जाता है कि इस पर लागू दिनाद जात कि कंपनी ने भौतिक शोयर्ओं के अंतरण अनुमोद को प्रुत जमा करने के लिए एक अल्प स्पेशल विंडो खोलने की प्रवृत्तकरी की गई है। यह स्पेशल विंडो 05 फरवरी, 2026 से 04 फरवरी, 2027 तक खुली रहेगी, और यह खास तौर पर उन मामलों पर लागू होगी जहाँ कुछ अंतरण अनुमोद 01 अप्रैल, 2019 से पहले जारी किए गए थे, जिन्होंने प्रक्रियाओं में अप्रतिष्ठा या किसी अन्य कारण से उन्हें समय सीमा के अंदर प्रस्तुत करने में असमर्थ किया। कृपया ध्यान दें कि इस विंडो के दौरान, अंतरण के लिए पत्र जमा किए गए शोयर्ओं का उपलब्धतापूर्वक, केवल उद्देश्य फॉर्म में ही प्रस्तुतकरण किया जाएगा। यह परिचरपत्र कंपनी की वेबसाइट यानी www.camacommmercial.com पर उपलब्ध है। पात्र शोयस्धारक अपने अंतरण अनुमोद आवश्यक दस्तावेजों के समेत कंपनी या उसके रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) को तय समय के अंदर जमा करने से जल्द प्रस्तुत कर सकते हैं। सूची यानी सार्वनी (कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी) कैमक कमर्शियल कंपनी लिमिटेड पता: सुखी मॉडल, प्रॉपर्टी नंबर 22-ए, आसफ अली रोड, नई दिल्ली - 110002 फ़ोन: 91-7303495374 ईमेल: camacommmercial@gmail.com
सूची यानी सार्वनी (कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी) कैमक कमर्शियल कंपनी लिमिटेड पता: सुखी मॉडल, प्रॉपर्टी नंबर 22-ए, आसफ अली रोड, नई दिल्ली - 110002 फ़ोन: 91-7303495374 ईमेल: nichetechpl@nichetechpl.com
कृते कैमक कमर्शियल कंपनी लिमिटेड हस्ता /— मनीषा सार्वनी
दिनांक: 04 अगस्त, 2026 कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

एसोसिएटेड फिनमैन लिमिटेड (संजीकरण: U65910DL1984PLC018871) पंजीकृत कार्यालय: 59/17, भूतल, बुडबुई अपार्टमेंट्स, यू.रोकरोड रोड, नई दिल्ली-110005 सीआईएन: U65910DL1984PLC018871 ई-मेल आईडी: associatedfinman1984@gmail.com; दूरभाष संख्या: +91 1232963621 वेबसाइट: www.associatedfinman.com
42^{वा} वार्षिक आम बैठक, रिमाोट ई-वोटिंग संबंधी सूचना एवं वक्तु कराल की सूचना एलएड्वारा सुचित किया जाता है कि एसोसिएटेड फिनमैन लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों की 42^{वीं} वार्षिक आम बैठक (एजीएम) गुव्वार, 27 अगस्त, 2026 को दोपहर 12:00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय 59/17, भूतल, बुडबुई अपार्टमेंट्स, यू.रोकरोड रोड, नई दिल्ली-110005 में आयोजित की जाएगी, जिसमें कंपनी अभिनियम, 2013 (अभिनियम) के लागू प्राधान्यों एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा समग्र-समय पर कोपिरेट कार्य मंडला द्वारा जारी सामान्य परिपत्र (एससीपी परिपत्रों) के साथ पठित प्राणिक प्राधान्यों के अनुपालन में एजीएम की सूचना में उल्लिखित कार्यों का निष्पादन किया जाएगा। 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एजीएम की सूचना एवं कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी सदस्यों को भेज दी गई हैं, जिन्होंने ई-मेन आईडी कट-ऑफ तिथि अर्थात् 14 अगस्त, 2026 तक कंपनी/आरटीए/डिजिटल प्रिभरगनी (प्रिभरगनी) के पास पंजीकृत हैं। कृपया ध्यान दें कि एससीपी परिपत्रों के माध्यम से सदस्यों को एजीएम की सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। एजीएम की सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.associatedfinman.com पर भी उपलब्ध रहेगी तथा वहां से डाउनलोड की जा सकती है। सदस्यों को मतदान करने की सुविधा (ई-वोटिंग) एनएसईएल (नेशनल सिस्कोरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड) द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी तथा इसकी विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है। रिमाोट ई-वोटिंग की अवधि सोमवार, 24 अगस्त, 2026 (प्रातः 9:00 बजे) से प्रारंभ होकर बुधवार, 26 अगस्त, 2026 (साय 5:00 बजे) तक रहेगी। इस अवधि के दौरान कंपनी के वे सदस्य, जो 14 अगस्त, 2026 की कट-ऑफ तिथि के अनुसार भौतिक अथवा डीमैट रूप में शेयर धारित करते हैं, रिमाोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम के समय ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मत प्रदान कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अभिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत गामपूली (कोरम) की गणना के लिए शामिल किया जाएगा। जिन सदस्यों के शेयर भौतिक/इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं तथा जिनकी ई-मेल आईडी कंपनी/उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रिभरगनीयों के पास पंजीकृत नहीं है, उनसे अनुरोध है कि वे पामप्राप्ति अथवा ई-मेन आईडी पंजीकृत कराएं। इसके लिए सदस्य अपने हस्ताक्षरित पत्र की प्रतियां प्रति, जिसमें उनका नाम, पूर्ण पता, कोविटो संख्या तथा कंपनी में धारित शेयरों की संख्या का उल्लेख हो, स्वयमपणित भेज काई की स्केन प्रति तथा निम्नलिखित में से किसी एक दस्तावेज की स्वयमपणित स्केन प्रति, अर्थात् आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, निर्वाचन पहचान पत्र, पासपोर्ट, उपयोगिता बि्ल अथवा कंपनी के अधिकार्यों में दर्ज पते के समक्ष में कोई अन्य सरकारी दस्तावेज, वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 एवं एजीएम की सूचना ई-मेल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु ta@ashpipl.com पर भेजें। डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य अपनी ई-मेल आईडी अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रिभरगनीयों के माध्यम से अद्यतन करा सकते हैं। एजीएम की सूचना में शेयरधारकों द्वारा रिमाोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम के समय ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने की प्रक्रिया संबंधी विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। कंपनी के सदस्य रजिस्ट्रर एवं शेयर अंतरण पुस्तिकाएं शुक्रवार, 21 अगस्त, 2026 से गुव्वार, 27 अगस्त, 2026 तक (दोनों दिन सहित) बंद रहेगी। एजीएम की सूचना तथा तिथि वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट, लागू प्राधान्यों के अनुसार, सदस्यों को नियत समय में प्रेषित की जाएगी।
एसोसिएटेड फिनमैन लिमिटेड की ओर से एवं उसके लिए हस्ताक्षरित/नवीन कुमार राठौर निदेशक ईआईएन: 09694776
स्थान : दिल्ली दिनांक : 04.08.2026

सार्वजनिक सूचना
मैं, पंकज जैन पुत्र स्वर्गीय श्री कांता प्रसाद जैन, निवासी ए-203, सेक्टर-47, नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर उ०न० सर्वसाधारण की सुस्थित करता हूँ कि मेरा प्लेट नंबर T-6/1201-A आग्रपाली किरलट होम्स, आग्रपाली थुप, G.H.-01/A सेक्टर-76, नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, उ० न० में स्थित है। उक्त प्लेट से संबंधित बिल्डर-बायर एग्रीमेंट (Builder Buyer Agreement) की मूल प्रति कहीं गुम हो गई है। यदि किसी व्यक्ति को उक्त मूल बिल्डर-बायर एग्रीमेंट प्राप्त होता है, तो कृपया उसे मेरे पक्ष में अवैध रूप से उपयोग न किया जाए तथा तत्काल मुझे सुचित किया जाए यदि किसी व्यक्ति द्वारा उक्त गुमशुदा दस्तावेज का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग किया जाता है, तो उसकी समस्त विनियमदारी संबंधित व्यक्ति की होनी तथा मेरे द्वारा उसके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सार्वजनिक सूचना सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है कि अविनाय भूखण्ड संख्या 10ए, फ़िलर-10, सेक्टर-144, नोएडा, नेशनल गैस बुद्ध नगर (उ.न.) का हस्तंतरण भूत आर्बो स्वीकृति की सहोपचार, पुत्र श्री रम सिंह, निवासी ग्राम-दुआन, नगर गौतम बुद्ध नगर (उ.न.) द्वारा निष्पादित दिनांक 19.04.2014 की पंजीकृत सहील के आधार पर श्री राहु उर्फ राहु कुमार बंसल, पुत्र श्री वसु सिंह, निवासी ग्राम-नवलपुर, परमल-कुपूर, वहीलन उर्फ नवलपूरी नैमबुद्ध नगर (उ.न.) के पक्ष में प्रस्तावित है। उक्त सौख्य दिनांक 19.04.2014 को उप-नरसिंह, नगर, गौतमबुद्ध नगर (उ.न.) के कार्यलय में विहित पंजीकृत कार्या नई थी, यह किसी व्यक्ति, भित्ति उत्तराधिकारी, वहीर अथवा अन्य किसी व्यक्ति को उपरोक्त वर्णित भूखण्ड अथवा उक्त प्रस्तावित हस्तंतरण के संबंध में किसी प्रकार का अधिकार, साम्पत्ति, बिंद, दावा, आपत्ति, थार (Lam), विवाद अथवा कोई अन्य दावा/आपत्ति है, तो वह इस सामंजसिक सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 (तीस) दिनों के भीतर अपने समस्त प्राणिक साक्ष्यों एवं अधिकारों सहित अपनी लिखित आपत्ति नोएडा प्राधिकरण के आवासीय भूखण्ड विभाग में प्रस्तुत कर सका/सकती है। यदि निम्नलिखित अवधि 30 (तीस) दिनों के भीतर कोई आपत्ति प्रारत नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उक्त प्रस्तावित हस्तंतरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य दावा नहीं है तथा प्रस्तावित हस्तंतरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को निकास प्रश्रुति अथवा दावा नहीं है तथा प्रस्तावित हस्तंतरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को निकास प्रश्रुति अथवा दावा नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रस्तावित हस्तंतरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को निकास प्रश्रुति अथवा दावा नहीं है तथा प्रस्तावित हस्तंतरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को निकास प्रश्रुति अथवा दावा नहीं है, तो वह इस सामंजसिक सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 (तीस) दिनों के भीतर अपने समस्त प्राणिक साक्ष्यों एवं अधिकारों सहित अपनी लिखित आपत्ति नोएडा प्राधिकरण के आवासीय भूखण्ड विभाग में प्रस्तुत कर सका/सकती है। यदि निम्नलिखित अवधि 30 (तीस) दिनों के भीतर कोई आपत्ति प्रारत नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उक्त प्रस्तावित हस्तंतरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य दावा नहीं है तथा प्रस्तावित हस्तंतरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को निकास प्रश्रुति अथवा दावा नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रस्तावित हस्तंतरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को निकास प्रश्रुति अथवा दावा नहीं है, तो वह इस सामंजसिक सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 (तीस) दिनों के भीतर अपने समस्त प्राणिक साक्ष्यों एवं अधिकारों सहित अपनी लिखित आपत्ति नोएडा प्राधिकरण के आवासीय भूखण्ड विभाग में प्रस्तुत कर सका/सकती है। यदि निम्नलिखित अवधि 30 (तीस) दिनों के भीतर कोई आपत्ति प्रारत नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उक्त प्रस्तावित हस्तंतरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य दावा नहीं है तथा प्रस्तावित हस्तंतरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को निकास प्रश्रुति अथवा दावा नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रस्तावित हस्तंतरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को निकास प्रश्रुति अथवा दावा नहीं है, तो वह इस सामंजसिक सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 (तीस) दिनों के भीतर अपने समस्त प्राणिक साक्ष्यों एवं अधिकारों सहित अपनी लिखित आपत्ति नोएडा प्राधिकरण के आवासीय भूखण्ड विभाग में प्रस्तुत कर सका/सकती है। यदि निम्नलिखित अवधि 30 (तीस) दिनों के भीतर कोई आपत्ति प्रारत नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उक्त प्रस्तावित हस्तंतरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य दावा नहीं है तथा प्रस्तावित हस्तंतरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को निकास प्रश्रुति अथवा दावा नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रस्तावित हस्तंतरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को निकास प्रश्रुति अथवा दावा नहीं है, तो वह इस सामंजसिक सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 (तीस) दिनों के भीतर अपने समस्त प्राणिक साक्ष्यों एवं अधिकारों सहित अपनी लिखित आपत्ति नोएडा प्राधिकरण के आवासीय भूखण्ड विभाग में प्रस्तुत कर सका/सकती है। यदि निम्नलिखित अवधि 30 (तीस) दिनों के भीतर कोई आपत्ति प्रारत नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उक्त प्रस्तावित हस्तंतरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य दावा नहीं है तथा प्रस्तावित हस्तंतरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को निकास प्रश्रुति अथवा दावा नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रस्तावित हस्तंतरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को निकास प्रश्रुति अथवा दावा नहीं है, तो वह इस सामंजसिक सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 (तीस) दिनों के भीतर अपने समस्त प्राणिक साक्ष्यों एवं अधिकारों सहित अपनी लिखित आपत्ति नोएडा प्राधिकरण के आवासीय भूखण्ड विभाग में प्रस्तुत कर सका/सकती है। यदि निम्नलिखित अवधि 30 (तीस) दिनों के भीतर कोई आपत्ति प्रारत नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उक्त प्रस्तावित हस्तंतरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य दावा नहीं है तथा प्रस्तावित हस्तंतरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को निकास प्रश्रुति अथवा दावा नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रस्तावित हस्तंतरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को निकास प्रश्रुति अथवा दावा नहीं है, तो वह इस सामंजसिक सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 (तीस) दिनों के भीतर अपने समस्त प्राणिक साक्ष्यों एवं अधिकारों सहित अपनी लिखित आपत्ति नोएडा प्राधिकरण के आवासीय भूखण्ड विभाग में प्रस्तुत कर सका/सकती है। यदि निम्नलिखित अवधि 30 (तीस) दिनों के भीतर कोई आपत्ति प्रारत नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उक्त प्रस्तावित हस्तंतरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य दावा नहीं है तथा प्रस्तावित हस्तंतरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को निकास प्रश्रुति अथवा दावा नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रस्तावित हस्तंतरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को निकास प्रश्रुति अथवा दावा नहीं है, तो वह इस सामंजसिक सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 (तीस) दिनों के भीतर अपने समस्त प्राणिक साक्ष्यों एवं अधिकारों सहित अपनी लिखित आपत्ति नोएडा प्राधिकरण के आवासीय भूखण्ड विभाग में प्रस्तुत कर सका/सकती है। यदि निम्नलिखित अवधि 30 (तीस) दिनों के भीतर कोई आपत्ति प्रारत नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उक्त प्रस्तावित हस्तंतरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य दावा नहीं है तथा प्रस्तावित हस्तंतरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को निकास प्रश्रुति अथवा दावा नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रस्तावित हस्तंतरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को निकास प्रश्रुति अथवा दावा नहीं है, तो वह इस सामंजसिक सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 (तीस) दिनों के भीतर अपने समस्त प्राणिक साक्ष्यों एवं अधिकारों सहित अपनी लिखित आपत्ति नोएडा प्राधिकरण के आवासीय भूखण्ड विभाग में प्रस्तुत कर सका/सकती है। यदि निम्नलिखित अवधि 30 (तीस) दिनों के भीतर कोई आपत्ति प्रारत नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उक्त प्रस्तावित हस्तंतरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य दावा नहीं है तथा प्रस्तावित हस्तंतरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को निकास प्रश्रुति अथवा दावा नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रस्तावित हस्तंतरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को निकास प्रश्रुति अथवा दावा नहीं है, तो वह इस सामंजसिक सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 (तीस) दिनों के भीतर अपने समस्त प्राणिक साक्ष्यों एवं अधिकारों सहित अपनी लिखित आपत्ति नोएडा प्राधिकरण के आवासीय भूखण्ड विभाग में प्रस्तुत कर सका/सकती है। यदि निम्नलिखित अवधि 30 (तीस) दिनों के भीतर कोई आपत्ति प्रारत नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उक्त प्रस्तावित हस्तंतरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य दावा नहीं है तथा प्रस्तावित हस्तंतरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को निकास प्रश्रुति अथवा दावा नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रस्तावित हस्तंतरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को निकास प्रश्रुति अथवा दावा नहीं है, तो वह इस सामंजसिक सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 (तीस) दिनों के भीतर अपने समस्त प्राणिक साक्ष्यों एवं अधिकारों सहित अपनी लिखित आपत्ति नोएडा प्राधिकरण के आवासीय भूखण्ड विभाग में प्रस्तुत कर सका/सकती है। यदि निम्नलिखित अवधि 30 (तीस) दिनों के भीतर कोई आपत्ति प्रारत नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उक्त प्रस्तावित हस्तंतरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य दावा नहीं है तथा प्रस्तावित हस्तंतरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को निकास प्रश्रुति अथवा दावा नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रस्तावित हस्तंतरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को निकास प्रश्रुति अथवा दावा नहीं है, तो वह इस सामंजसिक सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 (तीस) दिनों के भीतर अपने समस्त प्राणिक साक्ष्यों एवं अधिकारों सहित अपनी लिखित आपत्ति नोएडा प्राधिकरण के आवासीय भूखण्ड विभाग में प्रस्तुत कर सका/सकती है। यदि निम्नलिखित अवधि 30 (तीस) दिनों के भीतर कोई आपत्ति प्रारत नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उक्त प्रस्तावित हस्तंतरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य दावा नहीं है तथा प्रस्तावित हस्तंतरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को निकास प्रश्रुति अथवा दावा नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रस्तावित हस्तंतरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को निकास प्रश्रुति अथवा दावा नहीं है, तो वह इस सामंजसिक सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 (तीस) दिनों के भीतर अपने समस्त प्राणिक साक्ष्यों एवं अधिकारों सहित अपनी लिखित आपत्ति नोएडा प्राधिकरण के आवासीय भूखण्ड विभाग में प्रस्तुत कर सका/सकती है। यदि निम्नलिखित अवधि 30 (तीस) दिनों के भीतर कोई आपत्ति प्रारत नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उक्त प्रस्तावित हस्तंतरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य दावा नहीं है तथा प्रस्तावित हस्तंतरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को निकास प्रश्रुति अथवा दावा नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रस्तावित हस्तंतरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को निकास प्रश्रुति अथवा दावा नहीं है, तो वह इस सामंजसिक सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 (तीस) दिनों के भीतर अपने समस्त प्राणिक साक्ष्यों एवं अधिकारों सहित अपनी लिखित आपत्ति नोएडा प्राधिकरण के आवासीय भूखण्ड विभाग में प्रस्तुत कर सका/सकती है। यदि निम्नलिखित अवधि 30 (तीस) दिनों के भीतर कोई आपत्ति प्रारत नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उक्त प्रस्तावित हस्तंतरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य दावा नहीं है तथा प्रस्तावित हस्तंतरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को निकास प्रश्रुति अथवा दावा नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रस्तावित हस्तंतरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को निकास प्रश्रुति अथवा दावा नहीं है, तो वह इस सामंजसिक सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 (तीस) दिनों के भीतर अपने समस्त प्राणिक साक्ष्यों एवं अधिकारों सहित अपनी लिखित आपत्ति नोएडा प्राधिकरण के आवासीय भूखण्ड विभाग में प्रस्तुत कर सका/सकती है। यदि निम्नलिख